


काट रकलक लाव भू
प्रथम अपील अधिकारी
(निर्णायक)

[Handwritten signature]



सर्वना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलेक्टर काट रकलक लाव अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।
कलतः अपील अपीलार्थी द्वारा अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक नडी को अपील अपीलार्थी को प्रेषित की जावे। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित
नहीं है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद टोंक के प्रथम अपीलार्थी अधिकारी के समक्ष
नियमनसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।